रजिस्ट्री सं० डी.एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 514] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 1995/अग्रहायण 22, 1917
No. 514] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 1995/AGRAHAYANA 22, 1917

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1995

सा० का० नि० 793(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि बाह्य उपयोग के लिए आशयित निर्मितियों के सिवाय, किसी अन्य औषधि के साथ हाइड्रॉक्सीक्विनोलीन समूह के औषधियों के नियत मात्रा में संयोजन के उपयोग से मनुष्यों के जोखिम में पड़ने की संभावना है या उक्त नियत मात्रा के संयोजन में ऐसा चिकित्सीय महत्व नहीं है जिसका दावा किया गया है या दावा किया गया तात्पर्यित है या उनमें संघटक ऐसी मात्रा में है जिनका कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त नियत मात्रा संयोजन के विनिर्माण, विक्रय और वितरण को लोकहित में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक और समीचीन है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 578(अ) तारीख 23 जुलाई, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में, क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"13. बाह्य उपयोग के लिए आशयित निर्मितियों के सिवाय, किसी भी अन्य औषधि के साथ हाइड्रॉक्सीक्विनोलीन के समूह वाली औषधियों का नियत मात्रा में संयोजन" ।

[सं० एक्स 11014/5/95-डी० एम० एस० और पी० एफ० ए०]
शोलजा चन्द्र, संयुक्त सचिव

मूल नियम भारत के राजपत्र में सा· का· नि· सं· 578(अ) तारीख 23-7-83 द्वारा प्रकाशित किए गए । उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

1· सा· का· नि· सं· 49(अ) तारीख 31-1-1984
2· सा· का· नि· सं· 322(अ) तारीख 3-5-1984
3· सा· का· नि· सं· 863(अ) तारीख 22-11-1985
4· सा· का· नि· सं· 700(अ) तारीख 15-6-1988
5· सा· का· नि· सं· 1057(अ) तारीख 3-11-1988
6· सा· का· नि· सं· 743(अ) तारीख 10-8-1989
7· सा· का· नि· सं· 999(अ) तारीख 26-12-1990
8· सा· का· नि· सं· 69(अ) तारीख 11-2-1993
9· सा· का· नि· सं· 304(अ) तारीख 7-6-1991
10· सा· का· नि· सं· 444(अ) तारीख 30-4-1992
11· सा· का· नि· सं· 111(अ) तारीख 22-2-1994
12· सा· का· नि· सं· 612(अ) तारीख 9-8-1994 (शुद्धिपत्र)
13· सा· का· नि· सं· 731(अ) तारीख 30-9-1994
14· सा· का· नि· सं· 57(अ) तारीख 7-2-1995
15· सा· का· नि· सं· 633(अ) तारीख 13-9-1995

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 1995

G.S.R. 793(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of fixed dose combination of Hydroxyquinoline group of drugs with any other drug except for preparations meant for external use is likely to involve risk to human beings or the said fixed dose combination does not have the therapeutic value claimed or purported to be claimed for them or contain ingredients and in such quantity for which there is no therapeutic justification and whereas the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit the manufacture, sale and distribution of the said fixed dose combination in the public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26-A of Drugs and Cosmetic Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number G.S.R. 578(E), dated the 23rd July, 1983, namely :—

In the Table appended to the said notification, for serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and the entry shall be substituted, namely :—

"13. Fixed dose combination of Hydroxyquinoline group of drugs with any other drug except for preparations meant for external use."

[No. X. 11014/5/95-DMS & PFA]
SHAILAJA CHANDRA, Jt. Secy.

Foot Note :--The Principal notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. 578(E), dated 23-7-1983 and subsequently amended by :—

1. GSR 49(E), dated 31-1-1984
2. GSR 322(E), dated 3-5-1984
3. GSR 863(E), dated 22-11-1985
4. GSR 700(E), dated 15-6-1988
5. GSR 1057(E), dated 3-11-1988
6. GSR 743(E), dated 10-8-1989
7. GSR 999(E), dated 26-12-1990
8. GSR 69(E), dated 11-2-1991
9. GSR 304(E), dated 7-6-1991
10. GSR 444(E), dated 30-4-1992
11. GSR 111(E), dated 22-2-1994
12. GSR 612(E), dated 9-8-1994 (Corrigendum)
13. GSR 731(E), dated 30-9-1994
14. GSR 57(E), dated 7-2-1995
15. GSR 633(E), dated 13-9-1995

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi–110054 . 1995